दृष्टव्य स्थिति में तहसीलदार फूलियाकलाँ के ग्राम माँडी खेड़ा के खाता संख्या 31, 116 में मि0 मु0 श्रवण चमार के बजाय मि0 मु0 श्रवण बैरवा किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना की तहसीलदार, फूलियाकलाँ को लिखा जावे। आदेश मात्र दिनांक 23-5-16 को बैन्च कार्यालय पर सुनाया गया।

23/5/16

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा

23/5/16

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.